



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022025-260682
CG-DL-E-01022025-260682

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 2025/माघ 12, 1946

No. 65]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 2025/MAGHA 12, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2025

सं. 05/2025-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 98(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

I. सारणी में,-

- (1) क्रम संख्यांक 3कख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3कग.	0304 99 00	निर्यात हेतु सुरीमी एनालॉग उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग के लिए फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी)	5%	-	108";

- (2) क्रम संख्यांक 104घख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"104घग.	2301 20	जलीय आहार के निर्माण में उपयोग के लिए फिश हाइड्रोलिज़ेट	5%	-	9";

- (3) क्रम संख्यांक 166 के सामने, स्तंभ (3) में, -

(क) खंड (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ख) के सामने, "उपर्युक्त (क) में" शब्द और कोष्ठक के स्थान पर, "सूची 3 में विनिर्दिष्ट" शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) परंतुक का लोप किया जाएगा;

- (4) क्रम संख्यांक 166क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"166ख.	28, 29, 30 या 38	सूची 3 में विनिर्दिष्ट औषधियां, औषध, डायग्नोस्टिक किट या उपकरण	5%	-	-";

- (5) क्रम संख्यांक 167 के सामने स्तंभ (3) में, -

(क) खंड (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ख) के सामने, "ऊपर (क) में की" शब्द और कोष्ठक के स्थान पर, "सूची 4 में विनिर्दिष्ट" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) परंतुक का लोप किया जाएगा;

- (6) क्रम संख्यांक 167क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"167ख.	28, 29, 30 या 38	सूची 4 में विनिर्दिष्ट प्राणरक्षक डायग्नोस्टिक/औषध और उनके साल्ट्स और एस्टर तथा डायग्नोस्टिक किट	शून्य	-	-";

- (7) क्रम संख्यांक 168 के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;
- (8) क्रम संख्यांक 177क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (9) क्रम संख्यांक 250क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (10) क्रम संख्यांक 257क के सामने,
- (क) स्तंभ (3) में, प्रविष्टि (झ) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"(अ) इलेक्ट्रिक लैंप/टेबल लैंप/दीवार लैंप/छत लैंप/दरवाजा लैंप/खिड़की लैंप/गार्डन लैंप/वायर रोल/क्रिसमस अलंकरण पर फिटिंग के लिए इलेक्ट्रिक पाटर्स

(ट) निर्यात उत्पाद की बेहतर फिनिशिंग के लिए अपेक्षित रसायन/लैकर

(ठ) लकड़ी पॉलिश सामग्री

(ड) समुद्री शंख, मदर आफ पर्ल(एमओपी), पशु सींग और हड्डी सामग्री

(ढ) क्लक मूवमेंट

(ण) चिपकने वाला पदार्थ/गोंद

(त) प्राकृतिक आवश्यक तेल/सुगंधित रसायन

(थ) कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) और 120 वोल्ट के बल्ब

(द) रेजिन";

(ख) स्तंभ (6) में, "108"अंकों के स्थान पर निम्नलिखित"123"अंक रखे जाएंगे;

- (11) क्र.सं. 284 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"284क.	4104 11 00, 4104 19 00, 4105 10 00,	वेट ब्लू चर्म (खाल और चर्म)	शून्य	-	-";

	4106 21 00, 4106 31 00 या 4106 91 00				
--	--	--	--	--	--

(12) क्रम संख्यांक 341 के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(13) क्रम संख्यांक 341क के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(14) क्रम संख्यांक के लिए 345ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"345ख.	7102, 7104	रफ लैब ग्रोन डायमंड के विनिर्माण में प्रयोग के लिए सीड्स	शून्य	-	-";

(15) क्रम संख्यांक 364ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"364ग.	7113	(i) गोल्ड फाइंडिंग्स; (ii) सिल्वर फाइंडिंग्स; (iii) प्लैटिनम फाइंडिंग्स। स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, सोना, चांदी या प्लैटिनम फाइंडिंग्स का मतलब है कि हुक, क्लैस्प, क्लैम्प, पिन, कैच, स्कू बैक जैसे एक छोटे घटक जो आभूषण के पूरे को या एक टुकड़े के एक हिस्से को जगह में पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।	5%	-	-";

(16) क्रम संख्यांक 381 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"381क.	7802	सभी माल	शून्य	-	-
382ख.	7902	सभी माल	शून्य	-	-";

- (17) क्रम संख्यांक 390 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"390ख.	8105 20 30	सभी माल	शून्य	-	-";

- (18) क्रम संख्यांक 405 के सामने, स्तंभ (3) में, -

(i) खंड (1) और (3) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(2) वायु प्रचालित विद्युत जनरेटर घटकों के विनिर्माण या रखरखाव के लिए पुर्जे और उप-पुर्जे, अर्थात्:-

(क) विशेष बियरिंग्स

(ख) गियर बॉक्स.

(ग) यॉ घटक

(घ) वायु टरबाइन नियंत्रक";

(iii) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(5) वायु प्रचालित बिजली जनरेटर ब्लेड के लिए बाल्सा लकड़ी, कार्बन फाइबर";

(iv) प्रथम और द्वितीय परंतुक का लोप किया जाएगा;

- (19) क्रम संख्यांक 406 के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

- (20) क्रम संख्यांक 460 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"460.	8446, 8448	वस्त्र उद्योग में प्रयोग हेतु निम्नलिखित वस्तुएं (पुरानी और प्रयुक्त से भिन्न), अर्थात्: -	शून्य		
		(i) शटललेस रैपिअर लूम [650 मीटर प्रति मिनट से अधिक];	शून्य	-	-
		(ii) शटललेस रैपिअर लूम [650 मीटर प्रति मिनट से कम];	शून्य	-	-
		(iii) शटललेस वॉटरजेट लूम [800 मीटर प्रति मिनट से अधिक];	शून्य	-	-
		(iv) शटललेस एयरजेट लूम	शून्य	-	-

		[1000 मीटर प्रति मिनट से अधिक]; (v) शटललेस एयरजेट लूम [1000 मीटर प्रति मिनट से नीचे]; (vi) शटललेस लूम के विनिर्माण में उपयोग के लिए पुर्जे और घटक;	शून्य	-	9”;
--	--	---	-------	---	-----

(21) क्रम संख्यांक 460क के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(22) क्रम संख्यांक 460ख के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(23) क्रम संख्यांक 460ग के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(24) क्रम संख्यांक 460घ के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(25) क्रम संख्यांक 460ङ के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(26) क्रम संख्यांक 489कक के सामने, स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह है कि इस क्रमांक में निहित कोई भी प्रावधान 31 मार्च, 2025 के बाद प्रभावी नहीं रहेंगे।”;

(27) क्रम संख्यांक 515क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“515कक	8524	इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) मॉड्यूल (8524) के विनिर्माण में प्रयोग के लिए ओपन सेल (टच के साथ या उसके बिना)	5%	-	9”;

(28) क्रम संख्यांक 515ख के सामने, स्तंभ (4) में, “2.5%” प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(29) क्रम संख्यांक 515ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“515ग	8528 59 00	इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) से भिन्न अन्य सभी माल	10 %	-	9
515घ	8529	इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) मॉड्यूल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए निम्नलिखित माल (क) टच ग्लास शीट (ख) टच सेंसर पीसीबी	5%	-	9”;

- (30) क्रम संख्यांक 518 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:
“टैरिफ मद 8549 13 00, 8549 14 00 या 8549 19 00 के अधीन आने वाले लिथियम-आयन बैटरी के वेस्ट और स्क्रेप को छोड़कर, बैटरी स्क्रेप और बैटरी अपशिष्ट”;
- (31) क्रम संख्यांक 518 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“518क	8549 13 00, 8549 14 00, 8549 19 00	लिथियम-आयन बैटरी का वेस्ट और स्क्रेप	शून्य	-	-”;

- (32) क्रम संख्यांक 524 के सामने, स्तंभ (4) में, “25%” और “40%” प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः “20%” और “20%” प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (33) क्रम संख्यांक 525 के सामने, स्तंभ (4) में, “25%” और “40%” प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः “20%” और “20%” प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (34) क्रम संख्यांक 526 के सामने, स्तंभ (4) में, “100%” प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः “70%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (35) क्रम संख्यांक 526क के सामने, स्तंभ (4) में, “100%” प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः “70%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (36) क्रम संख्यांक 531 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“531.	8711	(क) मोटरसाइकिल (जिसमें मोपेड शामिल है) और सहायक मोटर से सुसज्जित, (लेकिन विद्युत चालित मोटरसाइकिल और साइकिल शामिल नहीं हैं), चाहे साइड कार के साथ हो या बिना, और साइड कार, नई, जो आयात से पहले कहीं भी पंजीकृत नहीं की गई हों और जिनकी इंजन क्षमता 1600 सीसी से अधिक न हो - (1) एक पूरी तरह से नॉकड डाउन किट के रूप में, जिसमें एक संपूर्ण वाहन को असेंबल करने के लिए सभी आवश्यक घटक, पुर्जे या उप-असेंबली शामिल हों, जिसमें -			-”;

	(क) इंजन, गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन तंत्र पहले से असेंबल की गई स्थिति में न हो;	10%	-
	(ख) इंजन, गियरबॉक्स या ट्रांसमिशन तंत्र पूर्व-असेंबल रूप में हो, लेकिन बॉडी असेंबली पर माउंट न हो;	20%	-
	(2) उपरोक्त (क)(1) के अलावा किसी अन्य रूप में;	40%	-
	(ख) मोटरसाइकिल (जिसमें मोपेड शामिल है) और सहायक मोटर से सुसज्जित साइकिल, (लेकिन विद्युत चालित मोटरसाइकिल और साइकिल शामिल नहीं हैं), चाहे साइड कार के साथ हो या बिना, और साइड कार, नई, जो आयात से पहले कहीं भी पंजीकृत नहीं की गई हों और जिनकी इंजन क्षमता 1600 सीसी या उससे अधिक हो -		
	(1) एक पूरी तरह से नॉकड डाउन किट के रूप में, जिसमें एक संपूर्ण वाहन को असेंबल करने के लिए सभी आवश्यक घटक, पुर्जे या उप-असेंबली शामिल हों, जिसमें -		
	(a) इंजन, गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन तंत्र पहले से असेंबल की गई स्थिति में न हो;	10%	-
	(b) इंजन, गियरबॉक्स या ट्रांसमिशन तंत्र पूर्व-असेंबल रूप में हो, लेकिन बॉडी असेंबली पर माउंट न हो;	20%	-
	(2) उपरोक्त (ख)(1) के अलावा किसी अन्य रूप में।	30%	-

(37) क्रम संख्यांक 539 के सामने, स्तंभ (3) के, मद (ख) के पश्चात निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(ग) उपग्रह के लिए भू-संस्थापनाएं, जिसके अन्तर्गत उनके पुर्जे और उपभोग्य सामग्रियाँ सम्मिलित हैं”;

(38) क्रम संख्यांक 539क के सामने स्तंभ (4), में प्रविष्टि “5” के स्थान पर “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(39) क्रम संख्यांक 555क के सामने, स्तंभ (3), के परंतुक में, “31 मार्च, 2025” शब्द और अंकों के स्थान पर “31 मार्च, 2035” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(40) क्रम संख्यांक 559 के सामने, स्तंभ (3), के परंतुक में, “31 मार्च, 2025” शब्द और अंकों के स्थान पर “31 मार्च, 2035” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(41) क्रम संख्यांक 591, के सामने, स्तंभ (4), में “25%” प्रविष्टि के स्थान पर “20%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाएगा;

II. (क) सारणी के बाद दिया गया पहला परन्तुक लोप किया जाएगा;

(ख) दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह कि क्रम संख्यांक 17, 80क, 90, 104, 133, 139, 150, 155, 164, 165, 172, 183, 184, 188, 191, 204, 253, 257, 257क, 257ख, 257ग, 258, 259, 260, 261, 265, 269, 271, 276, 279, 280, 290, 292, 293क, 296क, 326, 329, 333, 334, 345क, 345ख, 364क, 378, 379, 380, 381, 392, 404, 405, 406, 415, 415क, 416, 417, 418, 422, 423, 426, 435, 442, 446, 451, 462, 463, 464, 464क, 467, 471, 472, 476, 477, 480, 489ख, 504, 509, 510, 511, 512, 512क, 515क, 516, 517, 519, 523क, 527, 534, 535, 535क, 536, 537, 538, 539, 539क, 540, 542, 543, 544, 546, 548, 551, 553, 555, 567, 569, 570, 575, 578क, 580, 581, 583, 591 और 593 के सामने प्रविष्टियों में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी :”

III. दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह और कि क्रम संख्यांक 81क, 104ख, 104ग, 168, 341, 341क, 460, 460क, 460ख, 460ग, 460घ, 460ङ और 515ख के सामने प्रविष्टियों में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2027 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि क्रम संख्यांक 166, 166क, 167, 167क, 532क और 607ख के सामने प्रविष्टियों में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

IV. उपाबंध में,

(i) शर्त संख्यांक 122 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

शर्त सं.	शर्त
“123.	यदि आयातित माल का प्रयोग करके विनिर्मित मदों को आयातकर्ता द्वारा उक्त आयातित माल के आयात की तारीख से बारह महीने के भीतर निर्यात किया जाता है: परन्तु यह कि बारह महीने की उक्त अवधि को तीन महीने से अनधिक अवधि के लिए आयुक्त की अधिकारिता द्वारा आगे और बढ़ाया जा सकता है”;

(ii) सूची 3 में, -

(क) मद संख्यांक 67, 101, 106 और उससे संबंधित प्रविष्टियां लोप की जाएंगी;

(ख) मद संख्यांक 125 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(126) फ्लुटिकासोन फ्यूरोएट + यूमेक्लिडिनियम + विलानटेरोल एफएफ/यूएमईसी/VI

(127) ब्रेंटुक्सिमैब वेडोटिन

(128) ओक्रेलिजुमैब

(129) पर्टुजुमैब

(130) पर्टुजुमैब + ट्रैस्टुजुमैब

(131) फैरीसीमैब।”

(iii) सूची 4 में, मद संख्यांक 115 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

- “(116) ओनासेमनोजेन एबेपरवोवेक
 (117) एस्सिमिनीब
 (118) मेपोलिजुमैब
 (119) पेगीलेटेड लईपोसोमल इरिनोटेकन
 (120) दारतुमुमैब
 (121) दारतुमुमैब सबकूटेनियम
 (122) टेक्लिस्टमैब
 (123) अमीवन्तमैब
 (124) एलेक्टिनिब
 (125) रिसडिप्लम
 (126) ओबिनुतुजुमैब
 (127) पोलाटुजुमैब वेडोटिन
 (128) एट्रेक्टिनिब
 (129) एटेज़ोलिजुमाब
 (130) स्पेसोलिमैब
 (131) वेलाग्लुसेरेज़ अल्फ़ा
 (132) एगलसीडेस अल्फ़ा
 (133) रुरीओक्टोकोग अल्फ़ा पेगोल
 (134) इडुरसल्फेटेज़
 (135) एल्गुकोसिडेज़ अल्फ़ा
 (136) लारोनिडेज़
 (137) ओलिपिडेज़ अल्फ़ा
 (138) टेपोटिनिब
 (139) एवेलुमैब
 (140) एमिसिजुमैब
 (141) बेलुमोसुडिल
 (142) मिग्लस्टैट

- (143) वेलमनसे अल्फा
 (144) एलिरोक्यूमैब
 (145) इवोलोक्यूमैब
 (146) सिस्टामाइन बिटार्टेट
 (147) सीआई-इन्हिबिटर इंजेक्शन
 (148) इन्क्लाईसिरन
 (149) एगलसिडेज़ बीटा
 (150) इमिग्लूकेरेज़
 (151) इप्टाकाँग अल्फा एक्टिवेटिड रेकोम्बिनेन्त कोएगुलेशन फैक्टर VII ए।” ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2025 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/03/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप-सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. संख्यांक 646(अ), तारीख 13 नवंबर, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, अधिसूचना सं. 47/2024-सीमा शुल्क, तारीख 13 नवंबर, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2025

No. 05/2025-Customs

G.S.R. 98(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

I. in the Table, -

- (1) after S.No. 3AB and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3AC.	0304 99 00	Frozen Fish Paste (Surimi) for use in manufacture of Surimi analogue products, for export	5%	-	108”;

- (2) after S.No. 104DB and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“104DC.	2301 20	Fish Hydrolysate for use in manufacture of aquatic feed	5%	-	9”;

- (3) against S.No. 166, in column (3), -
- clause (A) and the entries relating thereto shall be omitted ;
 - against clause (B), for the word, brackets and letter “at (A)”, the words and figure “specified in List 3” shall be substituted;
 - the proviso shall be omitted;

- (4) after S.No. 166A and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“166B.	28, 29, 30 or 38	Drugs, medicines, diagnostic kits or equipment specified in List 3	5%	-	-” ;

- (5) against S. No. 167, in column (3), -
- clause (A) and the entries relating thereto shall be omitted;
 - against clause (B), for the word, brackets and letter “ at (A)”, the words and figure “specified in List 4” shall be substituted;
 - the proviso shall be omitted;

- (6) after S.No. 167A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“167B.	28, 29, 30 or 38	Lifesaving drugs/medicines including their salts and esters and diagnostic test kits specified in List 4.	Nil	-	-” ;

- (7) against S.No. 168, in column (3), the proviso shall be omitted;

- (8) S.Nos. 177A and the entries relating thereto shall be omitted;

- (9) S.Nos. 250A and the entries relating thereto shall be omitted;

- (10) against S. No. 257A,-

- in column (3), after entry (i), the following entries shall be inserted, namely: -
 - Electric parts for fitting on electric lamp / table lamp / wall lamp / ceiling Lamp / door lamp / Window lamp / Garden lamp/ wire roll/Christmas ornamentation
 - Chemical / lacquer required for improved finish of export product
 - Wood Polish materials
 - Sea shell, Mother of Pearl (MOP), Cattle horn and Bone Materials
 - Clock movement
 - Adhesive / glue

- (p) Natural essential oils/ aromatic chemicals
 (q) Compact Fluorescent Lamps (CFL) and bulbs of 120 volts
 (r) Resins”;

(b) in column (6), for the figures “108”, the figures “123” shall be substituted;

- (11) after S.No. 284 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“284A.	4104 11 00, 4104 19 00, 4105 10 00, 4106 21 00, 4106 31 00 or 4106 91 00	Wet blue leather (hides and skins)	Nil	-	”;

- (12) against S.No. 341, in column (3), the proviso shall be omitted;

- (13) against S.No. 341A, in column (3), the proviso shall be omitted;

- (14) for S.No. 345B and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“345B.	7102, 7104	Seeds for use in manufacturing of rough lab-grown diamonds	Nil	-	”;

- (15) for S.No. 364C and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“364C.	7113	(i) Gold findings; (ii) Silver findings; (iii) Platinum findings. <i>Explanation.</i> - For the purposes of this entry, gold, silver or platinum findings mean a small component such as hook, clasp, clamp, pin, catch, screw back used to hold the whole or a part of a piece of jewellery in place.	5%	-	”;

- (16) after S.No. 381 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“381A.	7802	All goods	Nil	-	-
381B.	7902	All goods	Nil	-	”;

- (17) after S.No. 390 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“390B.	8105 20 30	All goods	Nil	-	”;

- (18) against S. No. 405, in column (3), -
- (i) clauses (1) and (3) and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (ii) for clause (2), the following clause shall be substituted, namely:-
- “(2) Parts and sub-parts for the manufacture or the maintenance of wind operated electricity generator components, namely:-
- (a) Special bearings,
- (b) Gear box,
- (c) Yaw Components,
- (d) Wind turbine Controllers”;
- (iii) for clause (5), the following clause shall be substituted, namely:-
- “(5) Balsa Wood, Carbon Fibre for the wind operated electricity generator blades”;
- (iv) the first and second provisos shall be omitted;
- (19) against S.No. 406, in column (3), the proviso shall be omitted;
- (20) for S. No. 460 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“460.	8446, 8448	The following goods (other than old and used) for use in the textile industry, namely: -			
		(i) Shuttleless Rapier Looms [above 650 meters per minute];	Nil	-	-
		(ii) Shuttleless Rapier Looms [below 650 meters per minute];	Nil	-	-
		(iii) Shuttleless Waterjet Looms [above 800 meters per minute];	Nil	-	-
		(iv) Shuttleless Airjet Looms [above 1000 meters per minute];	Nil	-	-
		(v) Shuttleless Airjet Looms [below 1000 meters per minute];	Nil	-	-
		(vi) Parts and components for use in the manufacture of shuttleless looms.	Nil	-	9”;

- (21) against S.No. 460A, in column (3), the proviso shall be omitted;
- (22) against S.No. 460B, in column (3), the proviso shall be omitted;
- (23) against S.No. 460C, in column (3), the proviso shall be omitted;
- (24) against S.No. 460D, in column (3), the proviso shall be omitted;
- (25) against S.No. 460E, in column (3), the proviso shall be omitted;
- (26) against S.No. 489AA, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-
- “Provided that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2025.”;

- (27) after S.No. 515A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"515AA	8524	Open cell (with or without touch) for use in the manufacture of Interactive Flat Panel Display (IFPD) Module	5%	-	9";

- (28) against S.No. 515B, in column (4), for the entry "2.5%", the entry "Nil" shall be substituted;

- (29) after S.No. 515B and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"515C	8528 59 00	All goods other than Interactive Flat Panel Display (IFPD)	10%	-	9
515D	8529	The following goods for use in the manufacture of Interactive Flat Panel Display (IFPD) Module (a) Touch Glass sheet (b) Touch Sensor PCB	5%	-	9";

- (30) against S.No. 518, in column (3), for the entry "Battery scrap and battery waste", the following entry shall be substituted, namely:-

"Battery scrap and battery waste, other than waste and scrap of Lithium-Ion battery falling under tariff items 8549 13 00, 8549 14 00 or 8549 19 00";

- (31) after S. No. 518 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"518A	8549 13 00, 8549 14 00, 8549 19 00	Waste and scrap of Lithium-Ion battery	Nil	-	-";

- (32) against S. No. 524, in column (4), for the entries "25%" and "40%", the entries "20%" and "20%" shall be substituted respectively;

- (33) against S. No. 525, in column (4), for the entries "25%" and "40%", the entries "20%" and "20%" shall be substituted respectively;

- (34) against S. No. 526, in column (4), for the entry "100%", the entry "70%" shall be substituted;

- (35) against S. No. 526A, in column (4), for the entry "100%", the entry "70%" shall be substituted;

- (36) for S.No. 531 and the entries related thereto, the following S.No. and the entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"531.	8711	(A) Motor cycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor (excluding electrically operated motor cycles and cycles), with or without side cars, and side cars, new, which have not been registered anywhere prior to importation and with engine capacity not exceeding 1600 cc -			-";

	(1) as a completely knocked down kit containing all the necessary components, parts or sub-assemblies, for assembling a complete vehicle, with –			
	(a) engine, gearbox and transmission mechanism not in a pre-assembled condition;	10%	-	
	(b) engine or gearbox or transmission mechanism in pre-assembled form, not mounted on a body assembly;	20%	-	
	(2) in a form other than (A)(1) above;	40%	-	
	(B) Motor cycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor (excluding electrically operated motor cycles and cycles), with or without side cars, and side cars, new, which have not been registered anywhere prior to importation and with engine capacity of 1600 cc and above -			
	(1) as a completely knocked down kit containing all the necessary components, parts or sub-assemblies, for assembling a complete vehicle, with –			
	(a) engine, gearbox and transmission mechanism not in a pre-assembled condition;	10%	-	
	(b) engine or gearbox or transmission mechanism in pre-assembled form, not mounted on a body assembly;	20%	-	
	(2) in a form other than (B)(1) above	30%	-	

(37) against S. No. 539, in column (3), after item (b), the following item and the entries relating thereto shall be inserted, namely: -

“(c) Ground installations for satellite including its spares and consumables”;

(38) against S. No. 539A, in column (4), for the entry “5”, the entry “Nil” shall be substituted;

(39) against S. No. 555A, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2025”, the figures, letters and word “31st March, 2035” shall be substituted;

(40) against S. No. 559, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2025”, the figures, letters and word “31st March, 2035” shall be substituted;

(41) against S. No. 591, in column (4), for the entry “25%”, the entry “20%” shall be substituted;

II. (a) the first proviso after the Table shall be omitted;

(b) for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that nothing contained in the entries against serial numbers 17, 80A, 90, 104, 133, 139, 150, 155, 164, 165, 172, 183, 184, 188, 191, 204, 253, 257, 257A, 257B, 257C, 258, 259, 260, 261, 265, 269, 271, 276, 279, 280, 290, 292, 293A, 296A, 326, 329, 333, 334, 345A, 345B, 364A, 378, 379, 380, 381, 392, 404, 405, 406, 415, 415A, 416, 417, 418, 422, 423, 426, 435, 442, 446, 451, 462, 463, 464, 464A, 467, 471, 472, 476, 477, 480, 489B, 504, 509, 510, 511, 512, 512A, 515A, 516, 517, 519, 523A, 527, 534, 535,

535A, 536, 537, 538, 539, 539A, 540, 542, 543, 544, 546, 548, 551, 553, 555, 567, 569, 570, 575, 578A, 580, 581, 583, 591 and 593 shall have effect after the 31st day of March, 2026.”;

III. after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely: -

“Provided further that nothing contained in the entries against serial numbers 81A, 104B, 104C, 168, 341, 341A, 460, 460A, 460B, 460C, 460D, 460E and 515B shall have effect after the 31st day of March, 2027:

Provided also that nothing contained in the entries against serial numbers 166, 166A, 167, 167A, 532A and 607B shall have effect after the 31st day of March, 2029.”;

IV. in the ANNEXURE,

(i) after condition No. 122, the following condition shall be inserted, namely: -

Condition No.	Condition
“123.	If the items manufactured using the imported goods are exported by the importer within twelve months of the date of import of the said imported goods: Provided that the said period of twelve months may be further extended by the jurisdictional Commissioner for a period not exceeding three months.”;

(ii) in List 3, -

- (a) item numbers 67, 101, 106 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) after item number 125 and the entries relating thereto, the following item numbers and the entries relating thereto shall be inserted, namely: -
- “(126) Fluticasone Furoate + Umeclidinium + Vilanterol FF/UMEC/VI
(127) Brentuximab Vedotin
(128) Ocrelizumab
(129) Pertuzumab
(130) Pertuzumab + trastuzumab
(131) Faricimab.”;

(iii) in List 4, after item number 115 and the entries relating thereto, the following item numbers and the entries relating thereto shall be inserted, namely: -

- “(116) Onasemnogene abeparvovec
(117) Asciminib
(118) Mepolizumab
(119) Pegylated Liposomal Irinotecan
(120) Daratumumab
(121) Daratumumab subcutaneous
(122) Teclistamab
(123) Amivantamab
(124) Alectinib
(125) Risdiplam
(126) Obinutuzumab
(127) Polatuzumab vedotin
(128) Entrectinib
(129) Atezolizumab
(130) Spesolimab
(131) Velaglycerase Alpha
(132) Agalsidase Alfa
(133) Rurioctocog Alpha Pegol
(134) Idursulphatase
(135) Alglucosidase Alfa
(136) Laronidase

- (137) Olipudase Alfa
- (138) Tepotinib
- (139) Avelumab
- (140) Emicizumab
- (141) Belumosudil
- (142) Miglustat
- (143) Velmanase Alfa
- (144) Alirocumab
- (145) Evolocumab
- (146) Cystamine Bitartrate
- (147) CI- Inhibitor injection
- (148) Inclisiran
- (149) Agalsidase Beta
- (150) Imiglucerase
- (151) Eptacog alfa activated recombinant coagulation factor VIIa.”.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2025.

[F. No. 334/03/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 47/2024-Customs, dated the 13th November, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 646 (E), dated the 13th November, 2024.